(a) the number of instances of illegal fishing in the territorial waters of India which have come to the notice of Government during the current year;

(b) how many of these were foreign fishing trawlers and how many were unlicenced Indian trawlers;

(c) the steps taken by Government to penalise the illegal trespassers; and

(d) the steps being taken to prevent this?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI S. KRISHNA KUMAR): (a) to (d) As per the information available, no instances of illegal fishing in the territorial water have come to the notice of the Government during the current year. Fishig in territorial waters is regulated by the Marine Fishing Regulation Acts (MFRAs) enacted by some States. Under these Acts zones for fishing by traditional and mechanised fishing vessels have been demarcated. However, seven foreign fishing vessels have been apprehended by the Coast Guard during the current year under the "Maritime Zones of India (Regulation of Fishing by Foreign Vessels) Act, 1981'. This Central Act is being administered by the Ministry of Food Processing Industries (MFPI) and fishing by foreign fishing vessels is regulated under the provisions of the above Act. The illegal trespassers (Foriegn Fishing Vessels) are penalised as per the provisions of this Act.

मध्य प्रदेश में उर्वरकों की आवश्यकता

1242. श्री अजीत जोगी:
श्री मूलचन्द मीणा:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश की उर्वरकों की अनुमानित आवश्यकता कितनी है;

(ख) अब तक राज्य सरकार को कितनी मात्रा में उर्वरकों की आपूर्ति की गई है;

(ग) क्या गत दो वर्षों की तुलना में राज्य सरकार को उर्वरकों की आपूर्ति में कमी आई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार): (क) 25.8.92 से फास्फेटिक और पोटासिक उर्वरकों तथा 10.6.94 से भिन्न विश्लेषण वाले नाइट्रोजिनस उर्वरकों के विनियंत्रण के परिणामस्वरूप, यूरिया ही एक ऐसा उर्वरक है जो सांविधिक मूल्य नियंत्रण के अधीन है और जिसके लिए प्रत्येक फसल मौसम यथा खरीफ (अप्रैल से सितम्बर) और रबी (अक्तूबर से मार्च) के पहले राज्य सरकारों और उर्वरक उद्योग के परामर्श से जरूरत का अनुमान लगाया जाता है। तथापि अन्य उर्वरकों की सम्भावित जरूरत के बारे में सूचना राज्य सरकार से मौसम के शुरू होने से पहले मंगाई जाती है। निम्नलिखित तालिका में खरीफ 95 मौसम के लिए मध्य प्रदेश में यूरिया की अनुमानित मांग और अन्य उर्वरकों की सम्भावित मांग का ब्यौरा दिया गया है:-

क्र. सं.	उत्पाद	अनुमानित/संभावित मांग (लाख मीटरी टन)
1.	यूरिया	6.10
2.	अमोनियम सल्फेट	0.15
3.	कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट	0.01
4.	डाई अमोनियम फास्फेट	2.25
5.	सिंगल सुपर फास्फेट	4.00
6.	म्यूरिएट आफ पोटाश	0.35
7.	कम्पलैक्सेस	1.07

ऊपर बताई गई प्रक्रिया के अनुसार, रबी 95-96 मौसम के लिए यूरिया के अनुमान तथा अन्य नाइट्रोजिनस, फास्फेटिक और पोटासिक उर्वरकों की संभावित मांग उचित समय पर आंकी जाएगी।

(ख) से (घ) जैसाकि नीचे तालिका में दिया गया है, गत दो वर्षों में और वर्तमान खरीफ 95 मौसम में अब तक राज्य को यूरिया की सप्लाई में कोई कमी नहीं हुई है:-

(लाख मीटरी टन)

उपलब्धता	खपत	
1993-94	10.98	9.58
1994-95	11.55	9.83 (अनुमानित)
खरीफ 1995 (1 अप्रैल से 31 जुलाई)	4.37	3.86 (अनुमानित बिक्री)